



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 23, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

14th December, 2021,

Dated : _____

23 Agrahayana, 1943 (Saka),

NOTIFICATION

No. 429/UP/2021(1) :- IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the representation of people Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes further amendments in its notification no. 429/UP/2021(1), dated 7th September, 2021, as amended from time to time, relating to appointments of Assistant Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely :-

IN column-2 of the table appended to the said notification, the existing entry against item no. 207-Sikandra, "3. Block Development Officer, Rajpur" shall be substituted by the entry "3. Nayab Tehsildar, Sikandra".

By order,
ASHWANI KUMAR MOHAL,
Secretary.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary, Election.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 14 दिसम्बर, 2021,
23 अग्रहायण, 1943 (शक),

अधिसूचना

सं० 429/उ०प्र०/2021(1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13(ग) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ०प्र०/2021(1), दिनांक 7 सितम्बर, 2021 में आगे संशोधन करता है, नामत :-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में, मद संख्या 207-सिकन्दरा के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "3- खण्ड विकास अधिकारी, राजपुर" के स्थान पर प्रविष्टि "3-नायब तहसीलदार, सिकन्दरा" प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,
अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव, निर्वाचन।